

मूल वाद में डिक्री
(व्य०प्र०सं० के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी, मुकाम-भदेसर जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
बईजलास- श्री मांगीलाल रेगर, आर०ए०एस०,

शंकर दत्तक पुत्र लखमा भाम्बी वयस्क निवासी भादसोडा तहसील तहसील भदेसर

.....वादी

॥ बनाम ॥

1. जगदीश पिता गोकल जाति भाम्बी वयस्क निवासी भादसोडा तहसील तहसील भदेसर
2. रतनी पुत्री मनोहर जाति भाम्बी वयस्क निवासी भादसोडा पत्नि बाबूलाल भाम्बी हाल निवासी रेल्वे स्टेशन के पास भोपालसागर तहसील तहसील भदेसर
3. केसर पुत्री रामलाल जाति भाम्बी वयस्क निवासी भादसोडा हाल कुरेठा तहसील भदेसर
4. मेहतावी पत्नि रामलाल जाति भाम्बी वयस्क निवासी अरनेड तहसील डूंगला
5. नाराणी पुत्री खेमा जाति भाम्बी वयस्क निवासी भादसोडा हाल पत्नि मांगू निवासी देव मंगरिया तहसील कपासन
6. गीता पुत्री खेमा जाति भाम्बी वयस्क निवासी भादसोडा हाल पत्नि भेरूजी निवासी उंचनारकला तहसील कपासन
7. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भदेसर, जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, रा० का० अधि० 1955
प्रकरण सं०. 115/2014 ई०रे०

वादी की ओर से वकील श्री औकार लाल रायका एवं प्रतिवादीगण की ओर से - की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 25-04-2018 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि मौजा भादसोडा की आराजी नम्बर 821, 2490 किता 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर में वादी शंकरलाल का 1/2 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी प्रकार मौजा कुरेठा की आराजी नम्बर 1440, 1447, 1459 किता कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर भूमि में वादी शंकरलाल का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा वादी शंकरलाल के प्राकृतिक पिता गोकल से प्राप्त विरासत से जमाबन्दी में किये गये अंकन को विलोपित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में बयान हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिससे वादी को अपूरणीय क्षति कारीत होना प्रमाणित नहीं है इसलिए धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह आज दिनांक 25-04-2018 को डिक्री पर्चा मुर्तिब किया गया।

(मांगीलाल रेगर) 25/4/18
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

